बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–व.सं. / 40 / 2020

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ।

पटना 14, दिनांक–

विषय – नालंदा जिलान्तर्गत गंगा जल उद्‌वह योजना के तहत गिरियक अंचल के मौजा घोड़ा कटोरा में पेय जलापूर्ति के लिये Reservoir के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 36.04251 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Water/44592/2020/3888 दिनांक 04.04.2020 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 483 दिनांक 08.06.2020 (छायाप्रति संलग्न)।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Water/44592/2020/3888 दिनांक 04.04.2020 द्वारा विषयाधीन प्रस्ताव पर सशर्त्त सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी थी। तद्आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 483 दिनांक 08.06.2020 द्वारा CA एवं NPV मद की कुल राशि रू० 4,52,51,748 /– (रूपये चार करोड़ बावन लाख एकावन हजार सात सौ अड़तालीस) मात्र को कैम्पा लेखा में जमा कराते हुए सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्त्तों का कंडिकावार अनुपालन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

2. इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र की कंडिका–1 में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु नालंदा एवं जमुई वन प्रमंडलों से प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर कुल रू० 2,26,89,137 /– मांग की गयी थी जिसमें जमुई वन प्रमंडल द्वारा उपलब्ध कराया गया प्राक्कलन त्रुटिपूर्ण था। पुनः वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक 1100 दिनांक 26.06.2020 द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण का संशोधित प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है।

3. उक्त के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 483 दिनांक 08.06.2020 को निम्नवत संशोधित किया जाता है–

4. विषयांकित परियोजना निर्माण हेतु 36.04251 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा सशर्त्त सैद्धान्तिक सहमति प्रदान किया गया है। स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्त्तों का कंडिकावार अनुपालन आपके स्तर से अपेक्षित है–

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के प्रासंगिक पत्र में अंकित शर्त्त संख्या–2 b and c) के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं वर्त्तमान मजदूरी पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक 2123 दिनांक 30.04.2020 द्वारा रू० 2,00,05,541/– एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक 1100 दिनांक 26.06.2020 द्वारा रू० 34,88,148/– अर्थात् कुल 2,34,93,689 (रूपये दो करोड़ चौतीस लाख तिरानवें हजार छः सौ नवासी) मात्र का प्राक्कलन प्राप्त है।

6. उक्त राशि का आकलन वर्त्तमान मजदूरी दर रू० 287/प्रतिमानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनीकरण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

7. परियोजना निर्माण के क्रम में 36.04251 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि का NPV की राशि 6.26 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रू० 2,25,62,611/– (रूपये दो करोड़ पच्चीस लाख बासठ हजार छः सौ ग्यारह) मात्र NPV के मद में प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।

8. **उपर्युक्त CA एवं NPV मद की कुल राशि रू० 4,60,56,300/– (रूपये चार करोड़ साठ लाख छप्पन हजार तीन सौ) मात्र को मंत्रालय के वेब–साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराई जाय।**

9. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जाय।

10. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र में उल्लेखित कंडिका 1 से 17 में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं./40/2020–552 दिनांक– 26/06/2020

प्रतिलिपि– वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ/वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.6.2020

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।